न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या – 30/2008 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :–

1. साहबसिंह पुत्र सज्जनसिंह
2. शेरसिंह पुत्र सज्जनसिंह
3. मुंशीसिंह पुत्र सज्जनसिंह
4. रामोबाई पुत्री सज्जनसिंह
5. मिन्दोबाई पुत्री सज्जनसिंह
6. करतारसिंह पुत्र बहादरसिंह
7. पूरणसिंह पुत्र बहादरसिंह
8. बलवीरसिंह पुत्र बहादरसिंह
9. पप्पूसिंह पुत्र बहादरसिंह
10. जितोबाई पुत्री बहादरसिंह

निवासीयान ग्राम झामुवास तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:———————— अपीलांट्स

बनाम

1 दीपचन्द पुत्र नोन्दाराम

2 दुल्लाराम पुत्र नोन्दाराम
जाति अहीरान निवासीयान ग्राम पहाडवास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

3 सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढबास जिला अलवर

———————— रेस्पो0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध आज्ञा भू आवंटन सलाहकार समिति, किशनगढवास जरिये अध्यक्ष उप जिलाधीश, किशनगढ–वास दिनांक 27.9.2007

उपस्थित :– 1. श्री आनन्द सिंह एडवोकेट :– अपीलांट की ओर से

2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से बावजूद सूचना उपस्थित

3. श्री अमर चन्द चौधरी :– रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से

निर्णय दिनांक 16.11.2021

1 यह अपील भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उप जिलाधीश, किशनगढबास द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.9.2007 के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण दीपचन्द, दुल्लाराम पुत्रान नोन्दाराम जाति अहीर निवासी सारणवास (पहाडवास) तहसील किशनगढबास ने आराजी साबिक खसरा नम्बर 57 मिन हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 20 एयर वाके ग्राम झामूवास तहसील किशनगढबास का अपने पक्ष में निष्पादित इकरारनामा बय के आधार पर उक्त आराजी की सनद अपने पक्ष में जारी करवाने हेतु आवंटन सलाहकार समिति, किशनगढबास के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया,जिस पर आवंटन सलाहकार समिति ने कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 27.9.2007 द्वारा प्रार्थीगण दीपचन्द व दुल्लाराम के पक्ष में सनद जारी करने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स साहब सिंह वगैरा ने यह अपील धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट्स ने सर्वप्रथम अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि आवंटन सलाहकार समिति ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । जबकि विवादित भूमि पर हमारा कब्जा है । हम हितबद्ध पक्षकार है । हमको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर हमको अपील पेश करने की इजाजत दी जावे ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुये तर्क दिये कि हम आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं थे । हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हमको समय पर नहीं हो सकी थी । जानकारी होने पर जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे ।

5 विद्वान वकील अपीलांट्स ने गुणावगुण पर तर्क दिये कि रेस्पो0 प्रार्थीगण ने विवादित आराजी हमारे बुजुर्गान कालासिंह, बहादरसिंह, सज्जनसिंह से खरीदना बताया है । परन्तु आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त इकरारनामा बय की कोई जांच नहीं की । उक्त इकरारनामा बय फर्जी है । हमारे बुजुर्गान ने रेस्पो0 प्रार्थीगण को भूमि नहीं बेची । विवादित आराजी हमारे बुजुर्गान की गैर खातेदारी की भूमि थी, जिस पर वे काबिज काश्तकार थे । उनके बाद हम काबिज काश्तकार हैं । गैर खातेदारी की भूमि का बेचान नहीं हो सकता । उक्त इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं है, इसलिये इसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता, जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी नजीर 2017 (2) आर0 एल0 डब्ल्यू0 पेज 176 में अभिनिर्धारित किया है । आवंटन सलाहकार समिति ने गलत तौर पर रेस्पो0 प्रार्थीगण के पक्ष में सनद जारी करने के आदेश दिये हैं । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

6 रेस्पो0 संख्या 01 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

7 राज्य सरकार रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि रेस्पो0 प्रार्थीगण के पक्ष में विवादित आराजी की सनद राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.11.2004 के परिप्रेक्ष्य में सही तौर पर जारी की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

8 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 के तथ्यों पर गौर किया । रेस्पो0 प्रार्थीगण ने अपीलांट्स के बुजुर्गों से विवादित भूमि जरिये इकरारनामा बय खरीद की है । ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रथमदृष्टतया व्यथित पक्षकार होना साबित है । लिहाजा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर अपीलांट्स को अपील पेश करने की इजाजत दी जाती है ।

9 इसके पश्चात मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और प्रकरण का निरतारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट्स द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

10 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न इकरारनामों बय के अवलोकन से सिद्ध है कि प्रश्नगत भूमि साबिक खसरा नम्बर 57 मिन का बेचान अपीलांट्स के बुजुर्गो ने वर्ष 1967 में प्रार्थीगण रेस्पो0 को किया था और मौके पर कब्जा खरीददारान को करा दिया था । साबिक राजस्व रेकार्ड में विक्रेतागण गैर खातेदार दर्ज थे । विक्रेतागणों ने अपनी गैर खातेदारी की भूमि प्रार्थीगण रेस्पो0 को जरिये इकरारनामा हस्तांतरित कर दी थी । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.11.2004 में ऐसे अवैध हस्तांतरणों के आधार पर सनद जाररी करने के आदेश प्रदत्त किये गये हैं । आवंटन सलाहकार समिति ने प्रार्थीगण रेस्पो0 के पक्ष में सनद जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक एवं लिपिक की रिपोर्ट ली गई है । तत्पश्चात आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के पूर्ण कोरम की अभिशंषा के आधार पर तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.11.2004 में प्रदत्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विवादित आराजी की सनद प्रार्थीगण रेस्पो0 के पक्ष में जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

11 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर आवंटन सलाहकार समिति, किशगढबास का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2007 यथावत रखा जाता है ।

12 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर